निबंधन सं0 पी0 टी0—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आश्विन 1929(श0)

(सं0 पटना 870) पटना, बुधवार, 3 अक्तूबर 2007

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

3 अक्तूबर 2007

एस0 ओ0 89, दिनांक 3 अक्तुबर 2007 बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 'ख' द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 92, दिनांक 23 मार्च 1993 में निम्नवत् संशोधन करते है:-

संशोधन

क्रमांक सं0	नगर निगम,नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति कौण्टोनेमेंट बोर्ड, नागरीय क्षेत्रग्राम पंचायत की जनसंख्या।	स्थान की श्रेणी	धारा 3 'ख' के अन्तर्गत समाहित कर की दर (सकल संग्रहण क्षमता का प्रतिशत प्रति प्रदर्शन)	साप्ताहिक प्रदर्शनों की संख्या
1	2	3	4	5
1	5 लाख से ऊपर	क	24%	20
2	2.5 लाख से अधिक 5 लाख तक	ख	14%	18
3	1 लाख से अधिक 2.5 लाख तक	ग	11%	15
4	1 लाख तक	घ	8%	12

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं0–बिक्री–कर/संशोधन–02/2007–4436 (अनु0)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

शुभकीर्ति मजुमदार,

वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

3 अक्तूबर 2007

एस0ओ0 90, एस0 ओ0 89, दिनांक 3 अक्तूबर 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

The 3rd October 2007

S.O. 89, dated 3rd October 2007— In exercise of powers conferred under section 3 (B) of Bihar Entertainment Tax Act, 1948, the Governor of Bihar is pleased to amend notification No. S.O. 92 dated 23rd March 1993 as amended from time to time in the following way:-

Amendment

Sl.No.	Population of Municipal, Corporation, Notified Area Committee, Cantonment Board, Urban Area and village Panchayat	Class of Area	Rate of Compounding under Section 3B (Percentage of gross Collection capacity per show)	No. of Weekly Show
1	2	3	4	5
1	Above 5 Lacs	A	24%	20
2	Above 2.5 Lacs upto 5 Lacs	B	14%	18
3	Above 1 Lacs upto 2.5 Lacs	C	11%	15
4	upto 1 Lac	D	8%	12

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the official gazette.

[No.Bikri-kar—Sansodhan-02/07-4436(ANU)]

By order of the Governor of Bihar,
SUBHAKIRTI MAJUMDAR,
Commercial Taxes Commissioner &
Principal Secretary to the Government.

3 अक्तूबर 2007

एस0 ओ0 91, दिनांक 3 अक्तुबर 2007 बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम सं0 35,1948) की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य के सभी कार्यरत एवं बन्द सिनेमा गृहों के उत्क्रमण एवं आधुनिकीकरण हेतु, तत्संबंधी आवेदन-प्राप्त होने की तिथि से छः माह अथवा उनके पूंजी निवेश, के 75 प्रतिशत तक की वसूली तक दोनों में जो पहले हो, मनोरंजन कर की वसूली में छूट प्रदान करते है।

2. मनोरंजन कर से छूट प्रदान करने हेतु पूँजी निवेश की सीमा निम्नवत् होगी:-

(क) अधिनियम (35/1948) की धारा '3' 'ख' के वर्ग 'क' के रूप में वर्गीकृत स्थान के लिए-25 लाख

(ख) अधिनियम (35/1948) की धारा '3' 'ख' के वर्ग 'ख' के रूप में वर्गीकृत स्थान के लिए-15 लाख

(ग) अधिनियम (35/1948) की धारा '3' 'ख' के वर्ग 'ग' के रूप में वर्गीकृत स्थान के लिए-10 लाख

(घ) अधिनियम (35/1948) की धारा '3' 'ख' के वर्ग 'घ' के रूप में वर्गीकृत स्थान के लिए-7.5 लाख

3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

3 अक्तूबर 2007

एस0ओ0 92, एस0 ओ0 91, दिनांक 3 अक्तूबर 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

The 3rd October 2007

S.o. 91, dated 3rd October 2007— In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of section 10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Act 35/1948) the Governor of Bihar is pleased to exempt the running and Closed cinema houses for upgradation and modernization thereof for a period of six months or recovery of 75% of their capital investment which ever is erlier from the date of receipt of application in this behalf.

2. The limit of capital investment for exemption from recovery of Entertainment Tax shall be as follows:-

(a) For the places classified in category (A) under Section 3B- 25 Lacs.
(b) For the places classified in category (B) under Section 3B- 15 Lacs.
(c) For the places classified in category (C) under Section 3B- 10 Lacs.
(d) For the places classified in category (D) under Section 3B- 7.5 Lacs.

3. This notification shall come into force with effect from the date of its issue.

[No.Bikri-kar Sansodhan-02/07-4436(ANU)]
By order of the Governor of Bihar,
SUBHAKIRTI MAJUMDAR,
Commercial Taxes Commissioner &
Principal Secretary to the Government.

3 अक्तूबर 2007

एस0 ओ0 93, दिनांक 3 अक्तूबर 2007--बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (अधिनियम सं0 35, 1948) की धारा 10 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, राज्य में नये निर्मित स्थायी सिनेमा गृहों को उनके प्रथम सिनेमा प्रदर्शन की तिथि से दो वर्षों के लिए मनोरंजन-कर की देयता से विमुक्ति प्रदान करते हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी:--

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य--कर आयुक्त--सह--सरकार के प्रधान सचिव।

3 अक्तूबर 2007

एस0 ओ0 94, एस0 ओ0 93, दिनांक 3 अक्तूबर 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

The 3rd October 2007

S.O. 93, dated the 3rd October 2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section-10 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act 35/1948). the Governor of Bihar is pleased to exempt newly constructed permanent cinema houses, in the state from payment of Entertainment Tax for a period of two years from the date of their first cinematographic exhibition.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the gazette.

[No.Bikri-kar Sansodhan-02/07—4436(ANU)]
By order of the Governor of Bihar,
SUBHAKIRTI MAJUMDAR,
Commercial Taxes Commissioner &
Principal Secretary to the Government.

3 अक्तूबर 2007

एस0 ओ0 95, दिनांक 3 अक्तुबर 2007--बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम XXXV, 1948) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 में निम्नवत् संशोधन करते हैं:--

संशोधन

1. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 2 के उप-नियम (ण), निम्न रूप में प्रतिस्थापित किये जायेंगे:--
(ण) ''सप्ताह'' से अभिप्रेत है शुक्रवार से वृहस्पतिवार तक की अवधि।

2. बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984 के नियम 6 के उप-नियम (2) में प्रयुक्त शब्द ''कम-से-कम 15 दिन पूर्व'' शब्द ''कम-से-कम 3 कार्य दिवस पूर्व'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगें।

3. यह संशोधन राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के बाद प्रवृत्त होगा।

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

3 अक्तूबर 2007

एस0 ओ0 96, एस0 ओ0 95, दिनांक 3 अक्तुबर 2007 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0–बिक्री–कर / संशोधन–02 / 2007–4436 (अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शुभकीर्ति मजुमदार,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सरकार के प्रधान सचिव।

The 3rd October 2007

S.O. 95, dated the 3rd October 2007.—In exercise of powers conferred by section 21 of the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Act XXXV of 1948) the Governor of Bihar is pleased to amend the Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 in the following way:—

Amendment

1. Sub-Rule (O) of Rule 2 of Bihar Entertainment Tax Rules, 1984 shall be substituted as follows:—
(O) "week" means the period beginning from Friday and ending with the following Thursday.

2. The words "at least fifteen days before" used in sub rule (2) of rule 6 of the Bihar Emtertainment Tax Rules, 1984, shall be substituted by the words "at least three working days before".

3. This amendment shall come into force after thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette.

[No.Bikri-kar Sansodhan-02/07-4436 (ANU)]
By order of the Governor of Bihar,
SUBHAKIRTI MAJUMDAR,
Commercial Taxes Commissioner &
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 870-571+1000-डी0 टी0 पी0